


जज
प्रकार
के मामले

तारीख हुकम	जोपाल उच्च न्यायालय जज हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
31-10-25	<p>गोपाल उच्च न्यायालय जज हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज</p> <p>गोपत्र 25/1/RTA डी.नं. - 42/2022</p> <p>वकुलाय उभय पक्षकारान् उपर)</p> <p>पकीष अप्राप्ती संख्या -18 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें नफरत की जवाब कामिल पत्रावली किया गया अप्राप्ती सं. 6 की ओर से अधिवक्ता ने दियान्त पैरवी किसे जाने से इनकार किया। उतर: अप्राप्ती संख्या- 6 के खिलाफ एक पत्रावली अमल में लाई जाती है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाघो- पुर से अभी तक जॉय रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। कैसे पेश होने जॉय रिपोर्ट द्वारा तहसीलदार श्रीमाघोपुर पत्रावली दिनांक 12-11-2025 को पेश है।</p>	
12/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौर/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19/11/25 को पेश है।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी श्रीमाघोपुर (सीकर)</p>
17/12/25	<p>इस पेशगी पैरवी के पर 31/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौर/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 24-12-25 को पेश है।</p>	
24.12.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलाई गई। बावजूद आवाजों के भी वकुलाय उभय पक्षकारान् व कोई पक्षकारान् हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकुलाय अधिवक्तागणों व पक्षकारान् की अनुपस्थिती में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाघोपुर (सीकर)